

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1.समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 2.समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2021

विषय: आगामी ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला-नालियों की साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की समस्या एवं वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि की दशा में जल भराव व जल निकासी की समस्या के कारण संकामक रोगों के प्रसार की सम्भावनायें अधिक हो जाती हैं। उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा- 114 एवं उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-7 के अनुसार निकाय में जनसामान्य को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा नाले-नालियों की साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराना नगरीय निकायों का अनिवार्य कर्तव्य है। उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक हो जाता है कि नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला नालियों की साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

2. उक्त के क्रम में नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला-नालियों की साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, जिसकी समय सारिणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रस्तावित मुख्य कार्य योजना	समय सारिणी
1.	रिबोर हैण्ड पम्प/खराब नलकूप एवं पाइप लाइनों की टूट-फूट का सर्वे कार्य।	15-25 मार्च, 2021 तक।
2.	रिबोर हैण्ड पम्प/ट्यूबवेल की लघु मरम्मत की स्वीकृति	05 अप्रैल, 2021 तक।
3.	खराब/बन्द हैण्डपम्प व ट्यूबवेल को ठीक कराकर निर्बाध रूप से जलापूर्ति का कार्य।	30 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ।
4.	नाला-नाली सफाई का सर्वे।	31 मार्च, 2021 तक।
5.	नाला-नाली सफाई का टेण्डर कार्यवाही पूर्ण करना।	20 अप्रैल, 2021 तक।
6.	नाला-नाली सफाई का कार्य पूर्ण व सिल्ट हटाना।	31 मई, 2021 तक।
7.	बड़े नालों की सफाई पूर्ण कर सिल्ट हटाना।	10 जून, 2021 तक।
8.	जल निकासी हेतु पम्पिंग सेट की सूचीबद्ध व्यवस्था।	15 जून, 2021 तक।

1.पेयजल आपूर्ति:-

- नगरीय निकायों में पेयजलापूर्ति के लिये विशेष अभियान चलाकर समस्त नलकूप चालू हालत में रखे जायें तथा बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराकर चालू किया जाय।

- नलकूपों की मुख्य पाइपलाइनों से बस्तियों में आपूर्ति होने वाली पाइपलाइनों की टूट-फूट की मरम्मत एवं जल रिसाव के स्थानों को चिन्हित करते हुए उनकी मरम्मत करायी जाय ताकि बस्तियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके।
- समय-समय पर जल शुद्धिकरण हेतु क्लोरीनीकरण कराया जाय।
- उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित किया जाय।
- हैण्डपम्पों के पाइप को चारों ओर से कंकरीट से बन्द कराया जाय।
- हैण्डपम्पों के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु यथावश्यक नाली/सोक-पिट का निर्माण किया जाय।
- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु हैण्डपम्प के रिबॉरिंग एवं पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये नियमित रूप से बैक्टीरियोलॉजिकल/वायरोलॉजिकल जाँच करायी जाय।
- जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है, उन इलाकों में यथावश्यक क्लोरीन के टेबलेट का उचित मात्रा में वितरण कराया जाय।
- जिन क्षेत्रों में पेयजल बाधित हो, वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करायी जाय।
- जनसाधारण को पानी उबालकर पीने के लिये जागरूक करने के संबंध में विशेष प्रचार प्रसार किया जाय।

2. नाले/नालियों की सफाई –

- वर्षा ऋतु से पूर्व विलम्बतम् 30 मई, 2021 तक नालों एवं नालियों की सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
- नगरीय निकाय के सभी बड़े नाले, मझोले नाले एवं छोटे नाले को चिन्हित कर लिया जाय तथा उनकी सफाई हेतु सूक्ष्म कार्य योजना (Micro Plan) बनायी जाय।
- Micro Plan में नालों की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का अंकन करते हुये मैकैनिकल सफाई की टाईम लाईन (अवधि) तथा मैनुअल सफाई में कुल सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या के साथ दिनांक वार कार्य समाप्त करने की तिथि निश्चित की जाय।
- वार्ड वार नालों की मैकैनिकल/मैनुअल सफाई हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायें। जिनके नाम/पदनाम/मोबाइल नं० Micro Plan में अंकित किया जाय।
- नालों की सफाई की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं गुणवत्ता परक ढंग से सम्पन्न कराने हेतु स्थानीय पार्षद/सभासदगण को भी इसमें सम्मिलित किया जाय एवं Micro Plan में उनका नाम अंकित किया जाय।
- नालों की सफाई हेतु Micro Plan अनिवार्यतः 20 मार्च 2021 तक तैयार कराकर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध करा दिया जाय।
- निकाय के सभी बड़े नाले, मझोले नाले एवं छोटे नाले के सिल्ट की सफाई तली तक यथावश्यक मैकैनिकल/मैनुअल ढंग से सफाई सुनिश्चित किया जाय।
- नाले से निकला हुआ सिल्ट समयबद्ध रूप से वहाँ से सेनेटरी लैंडफिल साइट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाय। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जाय।

3. जल निकासी की समुचित व्यवस्था–

- नगरीय निकायों में जल भराव वाले स्थलों को चिन्हित कर लिया जाय।

- उक्त चिन्हित स्थलों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार बड़े/छोटे पम्प लगाये जाने के लिये सूक्ष्म कार्ययोजना बना ली जाय। उक्त **Micro Plan** में पम्प चालक एवं प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर अंकित किया जाय। जल की निकासी हेतु छोटे बड़े पम्पों को यथावश्यक मरम्मत कराकर ठीक करा लिया जाय।
- जल निकासी की समस्या की आकस्मिकता की स्थिति में जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कन्ट्रोल रूम(24X7), डेडिकेटेड गैंग एवं अतिरिक्त बड़े/छोटे पम्प की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों की संचालन व्यवस्था हेतु पम्प जनरेटर, ट्रान्सफार्मर की सर्विसिंग, इनटेक व सम्प की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जाय।
- बैरल (Barrel), पम्पिंग स्टेशनों का नाम, control room (24X7) Dedicated Gang के कर्मचारियों/ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर Micro Plan में अंकित किया जाय।
- निकायों में यथावश्यक विभिन्न विभागों से यथा सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इत्यादि से समन्वय स्थापित करते हुये जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त अपेक्षा के क्रम में सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप-‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ (प्रति संलग्न) पर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ उक्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक : यथोक्त।


भवदीय,

(डा० राजनीश दुबे)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिशन निदेशक, अमृत, उ०प्र०, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी)
 विशेष सचिव।

नगर निकायों में जल निकासी की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना

प्रारूप-(ग)

क्र०सं०	निकाय का नाम	वार्ड का नाम	जल भरव वाले स्थलों/क्षेत्रों की संख्या	जल भरव स्थल/क्षेत्र का नाम	जल भरव की प्रकृति (स्थायी / अस्थायी)	पम्प ऑपरेटर एवं मोबाइल नाम	प्रभारी अधिकारी का नाम पद/पदनाम/ नम्बर	बाढ़ पश्चिम स्टेशनों की सूचना		कंट्रोल रूम के प्रभारी का नाम/ पदनाम/ मोबाइल नम्बर	टिप्पणी
								बैरल कमाक	पश्चिम स्टेशनों का नाम ,		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11